(180)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2689–एक/12 विरूद्ध सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 20–5–2012 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 कुरावर तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ प्रकरण कमांक 5/अ–70/2008–09.

नन्नूलाल आत्मज हंसालाल
निवासी ग्राम कोठरी कलां
तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ .....आवेदक

विरूद्ध

1– सदर मोहम्मद आत्मज भूमिखां
2– काशीराम आत्मज दंगलिया
3– बुद्धराम आत्मज दौलतराम
निवासी ग्राम कोठरी कलां
तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ .....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 13/11/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 कुरावर तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 20–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, कुरावर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोठली स्थित भूमि सर्वे कमांक 1643/1 रकबा 0.632 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की भूमि है, जिस पर समीना बी का अवैध कब्जा है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–70/2008–09 दर्ज कर दिनांक 6–8–10 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त कर,

पुनः सीमांकन के आदेश दिये गये । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–10–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि विवादित भूमि का सीमांकन सही नक्शे से कराया जाकर प्रतिवेदन लिया जावे तथा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर उभय पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें । तद्नुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 20–5–2012 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय को प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, परन्तु त्रुटिवश आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में प्रतिवेदन दिनांक 1–5–2012 का उल्लेख किया गया है, जबकि दिनांक 1–5–2012 का कोई सीमांकन प्रतिवेदन नहीं है और उनके द्वारा जिस सीमांकन प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, वह दिनांक 20–5–2012 का ही है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि सीमांकन के पूर्व विधिवत सूचना पत्र की तामीली आवेदन पर नहीं कराई गई है । ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन विधि विरूद्ध है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में सीमांकन कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही नक्शे के आधार पर सीमांकन के निर्देश दिये गये थे, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सही नक्शे से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदक सहित सभी समीपवर्ती हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देकर सीमांकन किया गया है । पंचनामें से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित रहा है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 कुरावर तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 20–5–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर